

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- अधिवक्ता चतुर्वेदी
आई०ए०२०२०

राजस्व अपील सं० 70/2019

1. मूलचन्द पुत्र सुमरथा जाति मीना निवासी चैनपुरा तहसील व जिला दौसा।

.. अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा।

...रेस्पोजेन्ट



अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैथल दिनांक 13.2.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मूलचन्द मु०नं० 05/2019 अंतर्गत धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री रामलाल गोठवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 01.1.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैथल ने दिनांक 13.2.2019 को ग्राम चैनपुरा तहसील दौसा के आ०ख० 339 में से 0.10 है० किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलांट की बिना विधिवत तामील हुए ही एवं अपीलांट को बिना जवाब व सबूत का मौका दिये इकतरफा में निर्णय पारित किया है। कानूनन अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए पीछे से इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भ्रष्टी प्रदर्शित नहीं हुई है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत नहीं होते हुए भी अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा करने की गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

(A)

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील प्रति पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट्स को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस तामील होने पर बावजूद सूचना अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि खसरा नं0 339 में 0.02 है0 पर गेंहु की काश्त कर एवं 0.08 है0 पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रश्नगत चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलांट की ओर से खसरा नंबर 339 चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपीलांट्स के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.2.2019 में से सिविल कारावास की सजा अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैथल स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 01 जनवरी, 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा